भरतपुर में भगवान राम की शोभायात्रा की तैयारी

भरतपुर (निस)। श्रीराम जन्मोत्सव शोभायात्रा समिति द्वारा रामनवमी को निकाली जाने वाली भव्य शोभायात्रा की तैयारियों के संदर्भ में निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को नव संवतसर के अवसर पर शोभायात्रा समिति द्वारा एक विषाल बुलट रैली निकाली गई जिसमें जोष खरोच के साथ हजारों रामदूतों ने बुलट पर निकलकर भरतपुर षहर के लोगों को इस शोभायात्रा के लिए आमंत्रित किया।

शोभायात्रा समिति के मीडिया प्रभारी षैलेश कौषिक ने बताया कि यह ऐतिहासिक बुलट रैली जोष खरोस के साथ दोपहर 3.30 बजे शोभायात्रा समिति के कार्यालय रामवाटिका गोवर्धन गेट से प्रारम्भ हुई जिसे खाटूष्याम मंदिर के महंत रोहित महाराज ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। यह रैली रामवाटिका से प्रारम्भ होकर रेडक्रास सर्किल, कुम्हेर गेट चौराहे, कोतवाली चौराहे, लक्ष्मन मंदिर पर पहूॅची। जहां लक्ष्मन मंदिर पर सभी रामदूतों ने शोभायात्रा के समर्थन में श्रीराम जयघोश के नारे लगाये और जयकारों के साथ लक्ष्मन मंदिर चौराहे को गुंजायमान किया। लक्ष्मन मंदिर चौराहे पर युवा जोष देखने लायक था। इस रैली का भरतपुर षहर में करीब 100 से अधिक स्थानों पर दुकानदारों, व्यावसायिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों ने पुश्पवर्शा कर स्वागत किया। लक्ष्मन मंदिर से रैली जामा मस्जिद, लोहा बाजार, चौबुर्जा, मथुरा गेट होती हुई बिजली घर पहूॅची। बिजलीघर पर रैली में उपस्थित रामदूतों ने काफी समय तक जयघोश लगाये। रैली में केवल बुलट वाहन ही चल रहे थे। जिन पर भगवा ध्वज लगे हुए थे। बडी संख्या में रैली के अंदर युवा साथी बडे बडे हाथ में लेकर चल रहे थे। इस रैली में भरतपुर षहर का माहौल पूरा राममय हो गया। बिजलीघर से यह रैली कन्नी गुर्जर चौराहा, सूरजपोल चौराहा से वापिस रेडक्रास होती हुई शोभायात्रा समिति के कार्यालय पहूॅची जहां शोभायात्रा समिति के महामंत्री कृशण कुमार अग्रवाल ने सभी लोगों को सफलता पूर्वक आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इस रैली में प्रमुख रूप से लाखन पहलवान, चन्द्रप्रकाष षर्मा, गिरधारी तिवारी, विनय गर्ग सीए, अनुपम सिंह, उदय सिंह, गोविन्द सिंह, लखन षर्मा, मोनू कूम्हां, अभिशेक, सोनू राणा, अंकित ठाकुर, निरंजन, राम अवध, संजय चौधरी, अमित चौधरी, विजय चौधरी सेवर, देवेष बघेल, रवि गोपालगढ, आकाष कूम्हां, दिनेष भातरा, लक्की चौधरी, रोहित दिवाकर, गजेन्द्र धनागढ, मान प्रताप थैरावर, दौलत षर्मा, जीतू त्योंगा, अनिरूद्ध, सत्यवीर, पवन, मानू, सौरभ, राजू कुरका, संजीव सैनी, रविन्द्र, भोला, विश्णु खैमरा, रजत अवार, रजत पूनियां, देवाशीष भारद्वाज, हेमंत षर्मा, लक्ष्मीकांत षर्मा, पीयूष दीक्षित, चिराग, ब्रिजेष ठाकुर, रोनत फौजदार, ष्याम सुन्दर गौड, देवो पंडा, मोनू गोपालगढ, कुलदीप जघीना, ज्ञानू करौला, राहुल खंडेलवाल, अरविन्दपाल सिंह, रवि तिवारी, संदीप तिवारी, आषीश खंडेलवाल, आदि बडी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

माली समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन

करौला(नि.स.) करौली जिला कलेक्ट्रेट पर माली समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती के उपलक्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर करौली जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेख किया है कि राजस्थान में विभिन्न समाज के महापुरुषो की जयंती पर जिस तरह सार्वजनिक अवकाश घोषित है उसी तरह महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती 11 अप्रैल को है। उसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर माली समाज को सरकार सार्वजनिक रूप से अवकाश घोषित कर जयंती मनाने का अवसर प्रदान करें करौली में जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सैनी और करौली जिला महात्मा ज्योतिबा फुले युवा समिति के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चंद्र सैनी के नेतृत्व में युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आगामी 11:00 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती है।

जिला स्तरीय गांधी दर्शन आवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू

भरतपुर (निस)। शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में जिला स्तरीय गांधी दर्शन आवासीय प्रशिक्षण शिविर 22 मार्च को प्रशिक्षणार्थियों को प्रात: राजकीय आयुर्वेद एवं योगा प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के उपाधीक्षक एवं संभागीय समन्वयक डॉ चन्द्रप्रकाश दीक्षित के उदबोधन के साथ प्रारम्भ हुआ जिसमें उन्होंने आयुर्वेद से जुडे आधारभूत देशी जडी बूटियों पर आधारित चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा योग के माध्यम से शारीरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर निशुल्क चिकित्सा के बारे में बताया।

इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में महाराष्ट्र के बरधा जिले के सेवाग्राम निवासी मनोज ठाकरे ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी समता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कौमी एकता, छूआछूत, सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम चलाकर समरसता लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गांधीजी के इन उद्देश्यों को पूरा होने से रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जिससे गांधीजी के विचार जन-जन तक नहीं पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा बिना शस्त्रों के अहिंसापूर्वक सत्याग्रह का संचालन कर दुनिया के दो तिहाई हिस्से पर शासन करने वाले अंग्रेजों के शासन को भारत से उखाड फेंका। उन्होंने कहा कि युवाओं को गांधीजी की विचारधारा एवं जीवन दर्शन को आत्मसाद कर व्यवहारिक रूप में उपयोग करने के साथ ही उनके विचारों को राज्य के दूरदराज में रहने वाले जन-जन तक पहुंचाना होगा जिससे महात्मा गांधी के सपने पर आधारित देश की परिकल्पना को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि गांधीजी के विचारों को राज्यभर में विस्तार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की पहल की गयी है जिससे पूरे देश में राजस्थान ने ऐसा करके पहले प्रदेश के रूप में पहचान कायम की है। शिविर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला समन्वयक देवेन्द्र शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे महात्मा गांधीजी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाकर समाज में सौहार्द्ध एवं सद्भावना कायम करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा एवं जीवन दर्शन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक होकर युवाओं को प्रेरणादायी है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सहसंयोजक घनश्याम शर्मा ने राजस्थान सरकार द्वारा शांति एवं अहिंसा निदेशालय स्थापित किये जाने की सराहना करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की पहल का अन्य राज्य भी अनुशरण करें जिससे देशभर में शांति, सद्भावना एवं सौहार्द्ध का माहौल कायम हो सके। प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्णी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराखुर की वरिष्ठ अध्यापक नीरू शर्मा ने गांधीवादी विचारधारा पर अपने विचार एवं कविता की प्रस्तुति दी।

कार्यकारिणी का हुआ गठन

हिण्डौन सिटी । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पुनिया एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीना, प्रदेश महामंत्री एस.टी मोर्चा शेर सिंह मीना के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष भाजपा करौली बृजलाल डीकोलिया की सहमति से एस.टी मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत बीजलपुर के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष शीला मीणा के द्वारा एस.टी मोर्चा हिंडौन ठाामीण कार्यकारिणी की घोषणा की गयी है।

जिसमें मंडल अध्यक्ष शीला मीणा, उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह मीणा, हरिमोहन, महेश चंद, जगदीश को नियुक्त किया है महामंत्री पद पर बच्चू सिंह मीणा मुनेशी मीणा को नियुक्त किया है। मंत्री पद पर हितेश मीणा , धर्मेंद्र मीणा, बृजमोहन मीणा, रेखराम मीणा को नियुक्त किया है ।सोशल मीडिया कुंवर सिंह सिंघान,एवं कोषाध्यक्ष पद पर कुबेर सिंह मीणा को नियुक्त किया है ।

सदस्य लवकुश मीणा, धर्मवीर,रवि मीणा, वीरेंद्र मीणा, रोहित मीणा, और प्रेम सिंह झारेड़ा को नियुक्त किया गया है ।

नवरात्र स्थापना पर हुए धार्मिक कार्यक्रम

हिण्डौन सिटी । चैत्र नवरात्र स्थापना के अवसर पर बुधवार को यहां बरगमां रोड स्थित तुलसी आश्रम परिसर में चिंताहरण हनुमान मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम हुए।

मंदिर के पुजारी राजू पण्डित ने बताया कि इस अवसर पर हनुमान प्रतिमा का आकर्षक चोला चढ़ाया गया। मंदिर में सुबह से ही सुंदरकाण्ड व रामायण का पाठ किया गया। सुबह काफी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान को भोग लगाया तथा सुख-सम्पति की कामना की। उन्होंने बताया कि हनुमान मंदिर में रोजाना सुंदरकाण्ड का पाठ किया जावेगा। आश्रम परिसर स्थित माता वैष्णोदेवी मंदिर में भी दिनभर श्रद्धालु दर्शन-वंदन करने आते रहे। पण्डित ने बताया कि नवरात्र एवं आगामी हनुमान जयंती के मद्देनजर मंदिर परिसर की रंगाई-पुताई का कार्य भी किया जा रहा है।

रंगोली बनाकर किया हिन्दू नववर्ष का स्वागत

हिण्डौन सिटी । क्षेत्र में बुधवार को भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाया गया । माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने सार्वजनिक स्थानों बारहदरी, रामलला मंदिर, बुर्जा वाले बालाजी, पंचायत समिति, पुलिस थाना, जगदीश धाम मंदिर कैमरी सहित अनेकों स्थानों पर भव्य रंगोली बनाकर एक दूसरे को तिलक लगाकर हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाएं दी ।

प्रधानाचार्य बाबूलाल सैनी ने हिन्दू नववर्ष की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हमारे हिन्दू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है । भूपेन्द्र खटाना अधैत ने बताया कि इसी दिन से चैत्र नवरात्र प्रारम्भ होते है इसलिए हमें अपने घरों के सामने रंगोली बनाकर व दीप जलाकर इस पर्व को मनाना चाहिए। इस दौरान रंगोली कार्यक्रम में आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य बाबूलाल सैनी, अध्यापक दीपेन्द्र चौहान, भूपेन्द्र खटाना अधैत, ओमप्रकाश सैनी, अमरेश शर्मा, मुकेश सैनी, भूपेश सिंह, रामदयाल सहित सभी अध्यापकों ने सहयोग किया ।

इसके अलावा भारत विकास परिषद, शाखा विवेकानंद द्वारा नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2080 मनाया गया। शाखा प्रधान मुकेश वोडाफोन ने बताया कि उपखंड कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय परिसर ,थाना नई मंडी मे कार्यरत अधिकारी , कार्मिक ,स्टांप वेंडर तथा आम जनता एवं जगदंबा मार्केट, गोल्डन मार्ट, जैन मंदिर रोड, नई मंडी चौराहा मे सभी दुकानदारों एवं आम जनता को रोली व चंदन का तिलक लगाकर तुलसी, मिष्ठान नव वर्ष के पंपलेट वितरित कर हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला समन्वयक राजेंद्र प्रसाद गोयल ,प्रांतीय पदाधिकारी मनीष आर्य ,वरिष्ठ सदस्य भीमसेन गेरा ,रामअवतार बंसल, देवी शरण अठावाल ,सुभाष रेंजर शैलेश नमकीन राजेश जिंदल, योगेंद्र पटवारी, मुकेश जैन ,धर्मेंद्र गुप्ता ,शिव भगवान मित्तल ,केशव देव , देवकीनंदन खंडेलवाल, राजेंद्र गुप्ता, जगदीश प्रसाद गुप्ता इत्यादि परिषद सदस्य उपस्थित रहकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं प्रदान की गई।

इंडियनऑयल IndianOil | Bharat Petroleum | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HP | स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान में एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल). भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) राजस्थान प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों से निम्नलिखित स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं:

क्र. सं.	तेल कंपनी	स्थान का नाम	ग्राम पंचायत	उपखंड	ब्लॉक	जिला	श्रेणी**	मार्केट का प्रकार/ एलपीजी वितरण – शहरी /रुर्बन/ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	प्रतिभूति राशि (₹ लाख में)	विपणन योजना
शहरी/रूर्बन वितरकों की लोकेशन										
1	बीपीसीएल	बीकानेर	लागू नहीं	लागू नहीं	बीकानेर	बीकानेर	ओपन	शहरी	5	निरस्त किए गए वितरक के विरूद्ध विज्ञापित
ग्रामीण वितरकों की लोकेशन										
1	आईओसीएल	पचार	पचार	लागू नहीं	दातारामगढ़	सीकर	ओबीसी	ग्रामीण वितरक	3	निरस्त किए गए वितरक के विरूद्ध विज्ञापित
2	आईओसीएल	बसई नवाब	बसई नवाब	लागू नहीं	सेपऊ	धोलपुर	एससी	ग्रामीण वितरक	2	निरस्त किए गए वितरक के विरूद्ध विज्ञापित
3	एचपीसीएल	रायपुर	रायपुर	लागू नहीं	रायपुर	पाली	ओपन (महिला)	ग्रामीण वितरक	4	2022–23
दुर्गम क्षेत्रीय वितरकों के लिए स्थान										
1	आईओसीएल	चितावा	चितावा	नावा	कुचामन सिटी	नागौर	ओपन	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	2022–23
2	आईओसीएल	बाकनपुरा	बाकनपुरा	किशनगंज	किशनगंज	बाराँ	ओपन	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	निरस्त किए गए वितरक के विरूध्द विज्ञापित
3	बीपीसीएल	धुंधाड़ा	धुंधाड़ा	लूनी	लूनी	जोधपुर	ओपन (महिला)	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	2022–23

** प्रयुक्त नामावली इस प्रकार से है :–

ओपन – खुली श्रेणी
एससी/एसटी – अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी
ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
ओपन (महिला) – महिलाएँ जो खुली श्रेणी में आती हैं।

1. एलपीजी वितरक के चयन हेतु पात्रता मापदंड एवं विस्तृत दिशानिर्देश, एलपीजी गोदाम/एलपीजी गोदाम के लिए भूमि की आधारभूत संरचना सम्बन्धी आवश्यकताओं, शोरूम हेतु भूमि/तैयार शोरूम, सिलेंडरों की होम डिलीवरी के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि सहित चयन प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एलपीजी वितरकों के चयन के लिए विवरणिका में दी गयी है, जिसे किसी भी तेल कंपनी अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल की वेबसाइट **www.iocl.com, www.bharatpetroleum.in, www.hindustanpetroleum.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। विवरणिका वेबसाइटः **www.lpgvitarakchayan.in** से भी डाउनलोड की जा सकती है।
2. शहरी वितरक, रूर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक या दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (जो भी लागू हो) के तौर पर चयन हेतु आवेदन करने के इच्छुक तथा पात्रता–मापदंडों को पूरा करने वाले सभी व्यक्ति वेबसाइटः **www.lpgvitarakchayan.in** पर लॉग ऑन कर स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत होने पर उन्हें वेबसाइट पर लॉग इन कर सभी संदर्भों में अपेक्षित विवरणों को भरना होगा तथा दिनांक **24.04.2023** को या इससे पहले 17:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व, उम्मीदवारों के अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतिलिपियाँ अलग–अलग फाइलों में अपलोड करनी होगी, तथा वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड सुविधा के माध्यम से लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। शहरी वितरक, रूर्बन, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का विवरण नीचे तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है।

तालिका 1 – शहरी वितरक एवं रूर्बन वितरक स्थानों के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

श्रेणी	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क
ओपन श्रेणी	₹ 10,000 (दस हजार रूपये मात्र)**
ओबीसी	₹ 5,000 (पांच हजार रूपये मात्र)
एससी/एसटी	₹ 3,000 (तीन हजार रूपये मात्र)

**विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लेखित शहरी वितरक एवं रूर्बन वितरक स्थानों के अंतर्गत ओपन श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 3000 (तीन हजार रुपये मात्र) जमा करा सकते हैं। उन्हें आवेदन संख्या और प्रासंगिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या प्रस्तुत करनी होगी जिसे सत्यापित किया जाएगा । यदि बाद में यह पाया जाता है कि विवरण भारत सरकार के ऑनलाइन रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

वे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं किंतु ओपन श्रेणी के स्थानों के लिए आवेदन कर रहे हैं, को ओपन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

तालिका 2 – ग्रामीण वितरक स्थानों तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थानों के अंतर्गत, के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

श्रेणी	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क
ओपन श्रेणी	₹ 8,000 (आठ हजार रूपये मात्र)**
ओबीसी	₹ 4,000 (चार हजार रूपये मात्र)
एससी/एसटी	₹ 2,500 (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

**ओपन श्रेणी ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थानों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 2500 (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) जमा करा सकते हैं। तथापि, वे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं किन्तु "ओपन श्रेणी" के स्थानों के लिए लागू आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए विवरणिका देखें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध 'आवेदकों के लिए यूजर मैन्युअल–एलपीजी वितरक चयन' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, जब तक मांगा ना जाए, किसी भी कार्यालय में कोई भी दस्तावेज या आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भौतिक रूप में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में, यदि लॉट्स के ड्रॉ में उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो चयनित उम्मीदवार को सत्यापन के समय लागू निर्धारित पात्रता संबंधी प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। रक्षा कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों का विवरण के फील्ड सत्यापन के समय महानिदेशालय पुनर्स्थापन (डीजीआर) से जारी मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करना होगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरणिका देखें।
5. **सामान्य**

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के पास कोई भी कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

ख) आवेदक को एक स्थान के लिए केवल एक आवेदन जमा करना चाहिए। यदि एक स्थान के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा किए जाते हैं, तो सभी आवेदन एक साथ मिला दिए जाएंगे और इन्हें कंप्यूटर द्वारा ड्रॉ की तारीख के प्रयोजन के लिए एक आवेदन के तौर पर लिया जाएगा। इन मामलों में अन्य सभी आवेदनों के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क ज़ब्त कर लिया जाएगा।

ग) जबकि आवेदक अलग अलग स्थानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रत्येक स्थानों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के जरिए किया जाए और प्रत्येक मामले में लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दिया जाए।

घ) यदि आवेदन पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज में या आवेदन पत्र के संदर्भ में बाद में किसी भी स्तर पर आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना छुपाई गई हो/गलत रूप से पेश की गई हो/गलत या झूठी पाई जाती है जो पात्रता पर प्रतिकूल असर डालती हो तो आवेदन पत्र को कोई कारण बताए बिना निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर दी जाएगी और संबंधित तेल विपणन कंपनी को दिया गया अप्रतिदेय आवेदन शुल्क/प्रतिभूति जमा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। ऐसे मामले में आवेदक/डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित ऑयल कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

ङ) यह केवल संभावित आवेदकों से आवेदन पत्र मांगने के लिए एक विज्ञापन/अधिसूचना मात्र है और यह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पाने का प्रस्ताव नहीं है।

च) सभी पत्राचार वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** द्वारा आवेदक के पंजीकृत ई–मेल आईडी या पंजीकृत फोन पर ई–मेल अथवा एसएमएस द्वारा किया जाएगा।

छ) यह पूर्णतः एक व्यावसायिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है तथा इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम हैं और यह किसी प्रकार की निश्चित आय अथवा लाभ की गारंटी नहीं देता।

ज) यदि अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञापन में कोई विसंगति (यदि कोई है) पाई जाती है, तो साथ ही स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा संस्करण में बताई गई जानकारी/निर्देश मान्य होंगे।

झ) यदि वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** और इसके साथ इस विज्ञापन/अधिसूचना में आने वाले विवरणों में कोई विसंगति होती है तो इस प्रकाशित विज्ञापन/अधिसूचना के विवरण माने जाएंगे।

ञ) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., आवेदक के बैंक खाते/डेबिट कार्ड खाते/क्रेडिट कार्ड खाते से किसी राशि की कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जो संबंधित तेल कंपनी के संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित अथवा जमा नहीं की गई है।

ट) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. एक आवेदन के लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन की गई किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो उसके बैंक खाते/डेबिट कार्ड खाते/क्रेडिट कार्ड खाते से किए गए हैं।

ठ) कनेक्टिविटी समस्या, साइट की अनुपलब्धता और बैंक से संबंधित मुद्दों के कारण ऑनलाइन आवेदन जमा करने में किसी भी देरी के लिए ओएमसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सत्यमेव जयते | आज़ादी का अमृत महोत्सव | G20

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
वेबसाइटः www.beeindia.gov.in दूरभाषः 011-26766700

कृपया ध्यान दें: 14 अधिसूचित क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोगकर्ता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के तहत ऊर्जा खपत की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा के सभी उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता-वर्ग, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों के विरुद्ध दर्शाई गई विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ई), का.आ.394 (ई) दिनांक 12 मार्च, 2007, का.आ. 3542 (ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2015, का.आ.1388(ई) दिनांक 02 मई, 2017 और का.आ. 2147 (अ) दिनांक 17 जून, 2020 का.आ. 3445 (ई) दिनांक 28 सितंबर, 2020, का.आ. 4165 (ई) दिनांक 07 सितंबर, 2022 के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

क्र. सं.	अधिसूचित क्षेत्र	मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष ऊर्जा की न्यूनतम खपत
1.	एल्यूमिनियम	7,500
2.	सीमेंट	
	(क) एकीकृत सीमेंट यूनिट	30,000
	(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट	10,000
3.	वाणिज्यिक भवन या स्थापनाएं	
	(क) होटल	500
	(ख) हवाई अड्डा	500
4.	क्लोर–अल्कली	12,000
5.	विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)	एस ई आर सी/जे ई आर सी द्वारा सभी लाइसेंस प्राप्त वितरण कंपनियां
6.	उर्वरक	30,000
7.	लौह और इस्पात	20,000
8.	लुगदी और कागज	20,000
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरियां	90,000
10.	पेट्रोरसायन यूनिटें जिनमें गैस क्रैकर या नेफ्था क्रैकर या दोनों शामिल हों	1,00,000
11.	रेलवे	
	(क) सभी जोनल रेलवे (ट्रैक्शन)	70,000
	(ख) कार्यशालाएं	750
	(ग) रेलवे की 8 उत्पादन फैक्टरियां नामतः आईसीएफ आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू पीएलडब्ल्यू आरडब्ल्यूएफ, एमसीएफ और आरडब्ल्यूपी	-
12.	वस्त्र	3,000
13.	थर्मल पॉवर स्टेशन	30,000
14.	पेट्रोकेमिकल विनिर्माण इकाइयां	
	(1)फाइबर इंटरमीडिएट	50,000
	(2) पॉलिमर	10,000
	(3) डिटर्जेंट इंटरमीडिएट	9,000
	(4) परफोर्मेंस प्लास्टिक	3,000
	(5) अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पाद	6,000
	(6) सिंथेटिक रबर	15,000
	(7) सुगंध	20,000

केंद्र सरकार द्वारा का.आ.1409(ई) दिनांक 28 मार्च, 2018, का.आ. 1473(ई) दिनांक 29 मार्च, 2019, का.आ. 1254(ई) दिनांक 13 अप्रैल, 2020, का.आ. 4491(ई) दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 का.आ. 4552 (ई) दिनांक 26 सितंबर, 2022, को संबंधित नामित एजेंसी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को एक प्रति के साथ, वार्षिक ऊर्जा खपत की स्थिति पर ऊर्जा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों अर्थात् 2021.22 और 2022.23 की रिपोट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ठ) के तहत अधिसूचित प्रपत्र–1 में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

आवश्यक क्षेत्र लागू प्रो.फॉर्मा या प्रपत्र.1 की एक प्रति बीईई वेबसाइटः **https://beeindia.gov.in/content/pat-performa** से डाउनलोड की जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक वार्षिक खपत आदि की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के तहत दंड का भागी होगा।

अधिक जानकारी/प्रश्न के लिए कृपया हमसे 011.26766700 पर संपर्क करें या **newdc@beeindia.gov.in** पर मेल भेजें।

CBC 34106/12/0024/2223 मिशन निदेशक, एनएमईईई